निदेशालय
।। गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर ।।

कमांकः– गृरमु/ 18388 दिनांक :– 09-07-2021

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

इस कार्यालय द्वारा जारी ई–बोली सूचना कमांक 15989 दिनांक 21.06.2021 NIB No.HGR2122A0001 तथा UBN No.HGR2122SLOB00001 में अंकित निम्नांकित शर्तों में संशोधन किया जाता है:–

क सं	ई–बोली आमंत्रण सूचना में विद्यमान शर्तें	संशोधित शर्तें
1.	बोली की मुख्य शर्तें का बिन्दु संख्या 3 अनुभव **(Experience)** (i) बोलीदाता को विगत 5 वर्षो में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम 35,000 अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत् विगत पांच वर्षो में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यादेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। (iii) बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम 03 स्थानों पर simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 5 वर्षो में कम से कम 2 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।	बोली की मुख्य शर्तें का बिन्दु संख्या 3 अनुभव **(Experience)** (i) बोलीदाता को विगत 5 वर्षो में से कम से कम 3 बार आधुनिक उपकरणों से PST तथा RFID उपकरणों द्वारा कम से कम **25,000** अभ्यर्थियों की दौड़ कराने का सफलतापूर्वक समय मापने का (विभिन्न सरकारी विभाग/उपक्रम में) अनुभव होना आवश्यक होगा। संबंधित विभाग/उपक्रम से इस बाबत् विगत पांच वर्षो में संबंधित विभाग से जारी कम से कम तीन कार्यादेश, संतोषजनक कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उनके भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। (iii) बोलीदाता के पास RFID उपकरण द्वारा एक समय में कम से कम **02** स्थानों पर simultaneously समय मापने का अनुभव होना आवश्यक है, जोकि गत 5 वर्षो में कम से कम 2 परियोजनाओं में किया गया हो। बोलीदाता के संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में यह अनुभव किसी एक पार्टनर का होना आवश्यक है उक्त कार्य का बोलीदाता के पास सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रमाण होना आवश्यक है।
2.	ई–बोली के परिशिष्ट 'स' की शर्त संख्या 19 संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः– सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त क्रय की जावेगी	ई–बोली के परिशिष्ट 'स' की शर्त संख्या 19 संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः– प्रासंगिक उपापन की विषयवस्तु को गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की माने जाने के कारण उपाप्त की जाने वाली सेवा की मात्रा को

	जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में सेवा की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी कम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।	दो बोलीदाताओं के मध्य विभाजित किया जाएगा, जो निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगाः– 1. बोली शर्तों के आधार पर निर्धारित निम्नतम बोलीदाता को कुल मात्रा का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। 2. शेष 40 प्रतिशत हेतु प्रथमतः द्वितीय निम्नतम बोलीदाता को उक्त निम्नतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक लाभप्रद दर पर सेवा प्रदायगी स्वीकार करने का प्रति प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि द्वितीय निम्नतम बोलीदाता द्वारा उक्त प्रतिप्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उक्तानुसार सर्वाधिक लाभप्रद दर पर सेवा की मात्रा का 60 प्रतिशत निम्नतम बोलीदाता को और 40 प्रतिशत प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करने पर तदनुसार उक्त द्वितीय निम्नतम बोलीदाता को दिया जाकर उपापन की विषयवस्तु का विभाजन किया जाएगा। 3. यदि द्वितीय निम्नतम बोलीदाता द्वारा उपापन संस्था के उक्तानुसार दिए गए प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वही प्रतिप्रस्ताव उपापन संस्था द्वारा तृतीय निम्नतम, चतुर्थ निम्नतम आदि को इसी अनुसार आगे के कम में दिया जा सकेगा। इसी कम में बढ़ते हुए जिस भी बोलीदाता द्वारा शेष 40 प्रतिशत को सर्वाधिक लाभप्रद दर पर उपापन संस्था द्वारा दिए गए प्रतिप्रस्ताव को यथावत स्वीकार कर लिया जाता है तो उसी बोलीदाता का उक्तानुसार शेष मात्रा हेतु चयन किया जाएगा। 4. इस बोली प्रकिया में उक्तानुसार केवल दो बोलीदाताओं – यथा सर्वाधिक लाभप्रद दरें प्रस्तुत करने वाले निम्नतम बोलीदाता को 60 प्रतिशत और उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार रीति से दिए गए प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार करने वाले बोलीदाता को 40 प्रतिशत के मध्य ही विभाजित किया जाएगा।

बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक को बढ़ाकर (Extend) 29.07.2021 प्रातः 11.00 बजे किया जाता है।

ई–बोली की तकनीकी बिड (Technical Bid) खोलने की निर्धारित दिनांक को बढ़ाकर (Extend) कर दिनांक 29.07.2021 को 3.00 पी.एम किया जाता है।

ई–बोली की शेष समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

(य.आर.साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर